Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Railways / Rail Mantralaya
(Railway Board)

PC-VI No.130
RBE No.135

No. F(E)I/2009/AL-7/1 New Delhi, dated 24.07.09

The General Managers,
All Indian Railways etc.
(As per Standard Mailing List)

Sub: Recommendation of 6th Central Pay Commission - Grant of Conveyance Allowance at the revised rates to Railway Medical Officers.

Consequent to the recommendations of the 6th Central Pay Commission, the Ministry of Health & Family Welfare, have communicated revised rates of Conveyance allowance admissible to Central Health Service doctors working under the Central Health Service. Accordingly, the President is pleased to decide that the amount of Conveyance Allowance per month admissible to Railway Medical Officers for paying domiciliary visits outside duty hours and performing other official duties, will be revised as indicated below.

S.No.	Mode of Conveyance	Maximum per month	Minimum per month
(i)	For those who maintain their own motor car	Rs.3300	Rs.160
(ii)	For those who maintain scooter/motor cycle	Rs.1080	Rs.80
(iii)	For those who do not maintain either car or motor cycle/scooter	Rs.900	Rs.60

2. The Railway Medical Officers working in Hospitals will be paid Conveyance Allowance as per the above mentioned rates for visiting the Hospitals outside their duty hours and performing other official duties.

3. Similarly, Conveyance Allowance will be paid to Railway Medical officers working in Railway Health Units/dispensaries for paying domiciliary visits and performing other official duties.

4. The amount of Conveyance Allowance will be revised every year equal to the change in the percentage of Dearness Allowance payable for the year vis-à-vis the immediate preceding year.

Contd.....2/-

5. For entitlement to the maximum amount of Conveyance Allowance mentioned above in para (1), every Specialist/General Duty Medical Officer is required to pay on an average (to be computed for a three month period) a minimum of 20 visits in a month to the hospital or 20 domicilliary visits, outside his normal duty hours. Where, however, the number of domiciliary visits or visits to hospital falls short of this minimum limit of 20 but not below 6, there should be a proportionate reduction in the Conveyance Allowance, subject to minimum grant of Conveyance Allowance of Rs. 160/-, Rs.80/- and Rs.60/- pm in the case of Specialists/Medical Officers referred to sub-para 1 (i), (ii) and (iii) above respectively. In case of number of domicilliary visits or visits to the hospital falling below six in number, no Conveyance Allowance will be admissible.

Provided that the expression "minimum of 20 domicilliary visits in a month" would include visits performed in connection with official duties also, subject, however, to the condition that 50% of the total visits, the minimum being not less than six, must be domicilliary visits.

Provided further that the limit fixed for the minimum number of 20 visits will not, however, detract a Specialist/Medical Officer from his/her responsibility towards the patients to render visit to the hospital or paying domiciliary visits if the situation so warrants.

6. Every Specialist/Medical Officer claiming Conveyance Allowance will have to furnish a certificate alongwith monthly pay bill to the effect that he/she is drawing Conveyance Allowance in fulfillment of condition No.5 above.

7. No Conveyance Allowance will be admissible during joining time, leave and any period of temporary transfer.

8. Medical Officers/Specialists who draw Conveyance Allowance at the minimum rate specified in Para 1 above and those who do not maintain a Motor Car or Motor Cycle/Scooter and draw Conveyance Allowance @ Rs.900/- p.m. or Rs.60/-p.m. as the case may be, will be required to furnish a certificate along with the monthly pay bill, to the effect that the expenditure incurred by them by way of transport/conveyance hire in connection with domiciliary visits/official duty was not less than the amount claimed by them as Conveyance Allowance.

9. Specialists/Medical Officers in receipt of Conveyance Allowance will not be entitled to draw any Daily Allowance or Mileage Allowance for journeys on official duty, whether, within or beyond a radius of eight kilometers within the city municipal limits.

10. In case the conveyance is not maintained or is not available for use, owing to its being out of order or is not used for official journeys/hospital visit for any other reason, for a period of more than 15 days at a time, Conveyance Allowance will be admissible during such period at the rate prescribed in (I) (iii) above.

11. The Railway Medical Officers who draw Conveyance Allowance under these rules, will, in no case, be allowed to charge any sum towards the conveyance charges from the patients/beneficiaries, irrespective of the distance involved in visiting.

Contd. 3/-

12. These orders will be applicable to all the Railway Medical Officers attached to Dispensaries, sub-Divisional/Divisional and Central Hospitals and those working in Zonal Headquarters and Rly. Board including DG/RHS.

13. This order will take effect from 01.09.2008.

14. The expenditure involved will be met from the source from which the pay of the Specialists/Medical Officers is drawn.

15. These orders are issued in supersession of all the earlier orders on the subject.

16. Hindi version is enclosed.

17. Please acknowledge receipt.

S Chaturvedi

(Sonali Chaturvedi)
Dy. Director, Finance (E)
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पीसी-VI सं. 130
आरबीई सं. 135

सं. एफ(ई)I/2009/एएल-7/1 नई दिल्ली, दिनांक: 24.07.2009

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषयः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश - रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को संशोधित दरों पर वाहन भत्ता प्रदान करना।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा डॉक्टरों को स्वीकार्य वाहन भत्तों की संशोधित दरें संसूचित की हैं। तदनुसार, राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह विनिश्चय किया है कि कार्य घंटों के बाद रोगी को उसके घर पर आकर देखने (डोमिसिलरी विजिटों) हेतु जाने के लिए तथा अन्य सरकारी ड्यूटियों के निर्वहन के लिए रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को प्रति माह स्वीकार्य वाहन भत्ते की राशि नीचे दर्शाए गए अनुसार संशोधित की जाएंगी:-

क्र.सं.	परिवहन का साधन	अधिकतम प्रतिमाह	न्यूनतम प्रतिमाह
1.	जिनके पास उनकी स्वयं की मोटरकार है	3300/- रुपए	160/- रुपए
2.	जिनके पास उनका स्वयं का स्कूटर/मोटरसाइकिल है	1080/- रुपए	80/- रुपए
3.	जिनके पास न तो कार है और न ही मोटरसाइकिल/स्कूटर है	900/- रुपए	60/- रुपए

2. अस्पतालों में कार्यरत रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को अपने कार्य घंटों के बाद अस्पताल में विजिट करने तथा अन्य सरकारी ड्यूटियों के निर्वहन के लिए ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार वाहन भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

3. इसी प्रकार, रेलवे स्वास्थ्य यूनिटों/डिस्पेंसरियों में कार्यरत रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को रोगी को उसके घर पर आकर देखने (डोमिसिलरी विजिटों) हेतु जाने के लिए तथा अन्य सरकारी कार्य करने के लिए वाहन भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

4. पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के लिए संदेय महंगाई भत्ते के प्रतिशत में पविर्तन के बराबर वाहन भत्ते की राशि हर वर्ष संशोधित की जाएगी।

5. उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित वाहन भत्ते की अधिकतम राशि की पात्रता के लिए प्रत्येक विशेषज्ञ/सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी को अपने सामान्य ड्यूटी घंटों के बाद औसतन कम से कम एक माह में 20 विजिट अस्पताल में अथवा 20 डोमिसिलरी विजिट करना अपेक्षित है (तीन माह के लिए परिकलन किया जाना है) तथापि जहां डोमिसिलरी विजिट अथवा अस्पताल में विजिट न्यूनतम 20 विजिट से कम हो लेकिन यह 6 विजिट से कम नहीं हो वहां उपर्युक्त उप पैरा 1 (i), (ii) तथा (iii) में दिए अनुसार विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों के वाहन भत्ते में क्रमशः 160/- रुपए, 80/- रुपए और 60/- रुपए प्रतिमाह न्यूनतम स्वीकृति के अध्यधीन समानुपातिक कटौती की जाए। डोमिसिलरी विजिट अथवा अस्पताल में विजिट की संख्या 6 से कम रहने पर कोई वाहन भत्ता अनुमेय नहीं होगा।

यह प्रावधान होगा कि "माह में कम से कम 20 डोमिसिलरी विजिट" में कार्यालय संबंधी ड्यूटी भी शामिल होगी लेकिन शर्त यह है कि कुल विजिटों की 50% विजिटें रोगी को उसके घर पर आकर देखने हेतु जाने के लिए (डोमिसिलरी विजिट) अवश्य होनी चाहिए और यह न्यूनतम 6 विजिट से कम नहीं होनी चाहिए।

आगे यह प्रावधान भी होगा कि 20 विजिटों की न्यूनतम संख्या की निर्धारित सीमा की वजह से विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी अस्पताल में विजिट करने अथवा आवश्यक होने पर डोमिसिलरी विजिटें करने में रोगी के प्रति अपनी जिम्मेदारी में कमी नहीं आने देंगे।

6. वाहन भत्ता हेतु दावा करने वाले प्रत्येक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी को उपर्युक्त शर्त सं. 5 की पूर्ति हेतु मासिक पे-बिल के साथ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. कार्यभार ग्रहण के समय, छुट्टी और अन्य अस्थाई स्थानांतरण के दौरान कोई वाहन भत्ता अनुमेय नहीं होगा।

8. चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ जो कि उपर्युक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर पर वाहन भत्ता आहरित करते हैं और वे जो मोटरकार या मोटरसाइकिल/स्कूटर नहीं रखते और जैसी भी

स्थिति हो, 900/- रुपए प्रति माह या 60/- रुपए प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता आहरित करते हैं, को महीने की वेतन पर्ची के साथ इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा कि उनके द्वारा डोमिसिलरी विजिट/सरकारी कार्य के लिए विजिट के संबंध में परिवहन/किराए पर लिए गए वाहन पर उपगत खर्च उनके द्वारा वाहन भत्ते के रूप में दावा की गई राशि से कम नहीं था।

9. वाहन भत्ता प्राप्त करने वाले विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी शहर की म्युनिसिपल सीमाओं के अंदर आठ किलोमीटर की सीमाओं के भीतर या उनके बाहर सरकारी दौरे पर यात्रा के लिए दैनिकभत्ता या माइलेज भत्ते के लिए हकदार नहीं होंगे।

10. यदि वाहन नहीं रखा जाता है या वाहन ठीक हालत में न होने के कारण प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है या किसी अन्य कारणों से एक साथ 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए सरकारी दौरे या अस्पताल जाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता तो उस अवधि के दौरान वाहन भत्ता उपर्युक्त (I) (iii) में निर्धारित दर पर देय होगा।

11. रेल चिकित्सा अधिकारी जो इन नियमों के तहत वाहन भत्ते का आहरण करते हैं, को किसी भी मामले में, रोगी या लाभार्थी से वाहन प्रभार के लिए कोई रकम, चाहे विजिट की दूरी कितनी भी हो, चार्ज करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ये आदेश डिस्पेंसरी, उपमंडल/मंडल या केन्द्रीय अस्पताल से संबद्ध चिकित्सा अधिकारियों पर और क्षेत्रीय मुख्यालयों और म.नि./रि.स्वा.से. सहित रेलवे बोर्ड में कार्यरत रेल चिकित्सा अधिकारियों पर लागू होंगे।

13. यह आदेश 01.09.2008 से प्रभावी होगा।

14. इस संबंध में होने वाला व्यय विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन के स्रोत से पूरा किया जाएगा।

15. ये आदेश पूर्व में इस विषय पर सभी आदेशों के अधिक्रमण में जारी किए जा रहे हैं।

16. कृपया पावती दें।

सोनाली चतुर्वेदी

(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक, वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड